

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 01 / 2022

बनवारीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ

— वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ
2. अजयपाल पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ
3. संतोष पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ
4. शर्मिला पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ
5. सुमन देवी पुत्री हनुमान जाति जाट साकिन डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।


— — प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 11/01/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 11/01/2022 को रणजीत कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक नं. 11 एमओडी के खाता सं. 68 के प.नं. 55/260 के किला नं. 14, 15/1, 15/2 की 0.506 हैक्. व खाता सं. 69 के प.नं. 56/261 के किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.530 हैक्. कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है । शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 का यथावत रखा जाता है । तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का रथगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे । पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक 11/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(रणजीत कुमार) अधिकारी
उपखण्ड (राजस्व) पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा